

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

प्रलिस के लयि:

[वशष श्रेणी का दरजा](#), [बहिर जातआधारत सरवेकषण 2022](#), [योजना आयोग](#), [अनुचछेद 370](#), [केंदर परायोजत योजना](#) ।

मेन्स के लयि:

वशष राज्य का दरजा, SCS की चुनौतयिँ

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्यौं?

हाल ही में बिहार के [मुख्यमंत्री](#) ने केंदर सरकार से राज्य को [वशष श्रेणी का दरजा](#) दयि जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराय, जससे राज्य को केंदर से मलने वाले [कर राजसव](#) में वृदध होगी ।

बिहार वशष राज्य का दरजा (SCS) मांग क्यौं रहा है?

- ऐतहसक एव संरचनातमक चुनौतयिँ: बिहार को महत्त्वपूर्ण आर्थक चुनौतयिँ का सामना करना पड रहा है, जनिमें औद्योगक वकिस का अभाव एव सीमति नविश के अवसर शामिल हैं ।
 - राज्य के वभिजन के परणामस्वरूप उदयोग झारखंड में स्थानांतरति हो गए, जससे बिहार में रोजगार एव आर्थक वकिस की समस्याओं में वृदध हुई है ।
- प्राकृतक आपदाएँ: राज्य उत्तरी क्षेत्र में बाढ तथा दकषिणी भाग में गंभीर सूखे जैसी प्राकृतक आपदाओं का सामना कर रहा है ।
 - इन आपदाओं की पुनरावृत्ति से [कषिगतविधियिँ](#) बाधति होती हैं, वशषकर सचिाई सुवधियों के मामले में और साथ जल आपूर्ति भी अपर्याप्त रहति है जससे आजीवक एव आर्थक स्थरिता प्रभावति होती है ।
- बुनयिादी ढाँचे का अभाव: बिहार का अपर्याप्त बुनयिादी ढाँचा राज्य के समग्र वकिस में बाधा उत्पन्न करता है, जसमें अव्यवस्थति सडक नेटवरक, सीमति सुवासुथ्य सेवा पहुँच एव शैकषणक सुवधियों का अभाव आद चुनौतयिँ शामिल हैं ।
 - वर्ष 2013 में केंदर द्वारा गठति [रघुराम राजन समति](#) ने बिहार को "अल्प वकिसति श्रेणी" में रखा ।
- नरिधनता तथा सामाजक वकिस: बिहार में [नरिधनता दर](#) उच्च है तथा यहाँ बडी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं ।
 - नीतिआयोग के एक हालयिा सरवेकषण से जानकारी प्राप्त होती है क बिहार, नरिधन राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है, जहाँ वर्ष 2022-23 में बहुआयामी नरिधनता 26.59% होंगे, जो राष्ट्रीय औसत 11.28% की तुलना में अत्यधिक है ।
 - बिहार की प्रतवियकत GDP वर्ष 2022-23 के लयि राष्ट्रीय औसत 1,69,496 रुपए की तुलना में मात्र 60,000 रुपए है ।
 - राज्य वभिन्नि [मानव वकिस सूचकांक](#) में भी काफी पीछे है ।
- वकिस के लयि वतितपोषण: SCS की मांग करना दीर्घकालक सामाजक-आर्थक चुनौतयिँ से नपिटने के लयि केंदर सरकार से पर्याप्त वतितयिा सहायता प्राप्त करने का एक साधन भी है ।
 - बिहार सरकार ने पछिले वर्ष अनुमान लगाया था क वशष श्रेणी का दरजा दयि जाने से राज्य को पाँच वर्षों में 94 लाख करोड रुपए गरीब परिवारों के कल्याण पर खर्च करने के लयि अतरिकित 2.5 लाख करोड रुपए प्राप्त होंगे ।

बिहार को SCS मलने के वरिदध क्या तरक है?

- हालाँक, कुछ आलोचकों का तरक है क बिडी हुई धनराशि खराब नीतयिँ को प्रोत्साहति कर सकति है और अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडति कर सकति है, क्यौंक धनराशि को गरीब राज्यों में भेज दयिा जाएगा ।
- बिहार में ऐतहसक रूप से [खराब कानून व्यवस्था](#) वकिस और नविश के लयि एक बडी बाधा रही है ।
- 14वें वतित आयोग के अनुसार, केंदर पहले से ही 32% करों के बजाय 42% कर राज्यों को हस्तांतरति कर रहा है । केंदर के कोष पर कोई भी अतरिकित दबाव संभावति रूप से अन्य राष्ट्रीय योजनाओं और कल्याणकारी उपायों को प्रभावति करेगा ।

- **बिहार भारत में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है** । 2022-23 में बिहार की सकल घरेलू उत्पाद में 10.6% की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत 7.2% से अधिक है ।
 - पिछले वर्ष वास्तविक रूप से प्रतियोगिता में 9.4% की वृद्धि हुई ।
- अधिक धनराशि से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक विकास **शासन** और **निवेश** के माहौल में सुधार पर निर्भर करता है ।
- हालाँकि बिहार SCS के अनुदान के लिये अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन **पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है**, जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है ।
- **केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग** की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें केंद्र को सफ़ारिश की गई थी कि किसी भी राज्य को SCS नहीं दिया जाना चाहिये, बार-बार मांगों को अस्वीकार कर दिया है ।

अन्य राज्य जो SCS की मांग कर रहे हैं:

- 2014 में अपने विभाजन के बाद से **आंध्र प्रदेश** हैदराबाद के तेलंगाना में जाने से होने वाली राजस्व हानि के आधार पर विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की मांग कर रहा है ।
- इसके अलावा ओडिशा भी **चक्रवात** जैसी प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी **जनजातीय आबादी (लगभग 22%)** के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उजागर करते हुए SCS का अनुरोध कर रहा है ।

विशेष श्रेणी का दर्ज़ा क्या है?

- **परिचय:**
 - विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS) केंद्र द्वारा भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास में सहायता के लिये प्रदान किया जाने वाला एक वर्गीकरण है ।
 - **संवधान SCS के लिये प्रावधान नहीं करता है** और यह वर्गीकरण बाद में 1969 में **पाँचवें वित्त आयोग** की सफ़ारिशों के आधार पर किया गया था ।
 - **प्रथमतः** वर्ष 1969 में **जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड** को यह दर्ज़ा प्रदान किया गया था । **तेलंगाना** भारत का नवीनतम राज्य है जिससे यह दर्ज़ा प्राप्त हुआ है ।
 - **SCS, विशेष स्थिति से भिन्न है** जो कि उन्नत वधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित है ।
 - उदाहरण के लिये **अनुच्छेद 370** के नरिस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्ज़ा प्राप्त था ।
- **दर्ज़ा प्राप्त करने के मापदंड (गाइडलि सफ़ारिश पर आधारित):**
 - पहाड़ी इलाका
 - कम जनसंख्या घनत्व और/या **जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा**
 - पड़ोसी देशों के साथ **सीमाओं पर सामरिक स्थिति**
 - आर्थिक तथा **आधारभूत संरचना में पिछड़ापन**
 - **राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति**
- **लाभ:**
 - **अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75%** की तुलना में **केंद्र प्रायोजति योजना** में **आवश्यक नधि का 90%** विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जबकि शेष नधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है ।
 - वित्तीय वर्ष में **अव्ययति नधि वियपगत नहीं होती है** और इसे आगे बढ़ाया जाता है ।
 - इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं नगिम कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं ।
 - केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है ।
- **चुनौतियाँ:**
 - **संसाधन आवंटन:** SCS प्रदान करने के लिये राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है, जो केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है ।
 - **केंद्रीय सहायता पर निर्भरता:** SCS प्रदान राज्य अमूमन केंद्रीय सहायता पर **अत्यधिक निर्भर** हो जाते हैं, जिससे **आत्मनिर्भर होने** और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों की दशा में उनके प्रयास हतोत्साहित होते हैं ।
 - **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** SCS प्रदान किये जाने के बाद भी, प्रशासनिक अक्षमताओं, **भ्रष्टाचार** अथवा उचित नियोजन की कमी के कारण नधियों का **प्रभावी वधि से उपयोग** करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ।

आगे की राह:

- नषिपकषता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में SCS प्रदान करने के मानदंडों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।
- वर्ष 2013 में केंद्र सरकार द्वारा गठित **रघुराम राजन समिति** ने SCS के बजाय नधियों के हस्तांतरण के संदर्भ में 'बहु-आयामी सूचकांक' पर आधारित एक नई पद्धतिका सुझाव दिया, जिसके माध्यम से राज्य के **सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने पर पुनर्विचार** किया जा सकता है ।
- आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक वधिीकरण को बढ़ावा देने के क्रम में केंद्र सरकार पर राज्यों की **निर्भरता को कम करने वाली नीतियों** को

- लागू करना चाहिये। इसके साथ ही राज्यों के राजस्व स्रोत में वविधिता लाने पर बल देना चाहिये।
- वशिलेषकों का सुझाव है कि **सतत आर्थिक विकास** के लिये बहिर में वधि के शासन की आवश्यकता है।
 - राज्यों को व्यापक विकास योजनाएँ बनाने के क्रम में प्रोत्साहति करने हेतु **अन्य कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जैसे:**
 - **शक्तिषा में सुधार: प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ICDS केंद्र)**, शक्तिषक प्रशक्तिषण एवं शक्तिषण पदधति में सुधार पर ध्यान केंद्रति करने से संबंघति RTE फोरम की सफिराशियों पर ध्यान देने के साथ अधकि संवादात्मक तथा प्रौद्योगिकी आधारति दृष्टकिण अपनाना चाहिये।
 - **कौशल विकास एवं रोजगार सृजन:** बहिर के युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसायों को आकर्षति करने तथा रोजगार सृजन हेतु **SIPB (सगिल-वडि इन्वेसटमेंट प्रमोशन बोर्ड)** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ संबंघति कौशल पहलों पर ध्यान केंद्रति कयिा जाना चाहिये।
 - **बुनयिादी ढाँचे का विकास:** समग्र विकास हेतु बेहतर बुनयिादी ढाँचे का होना बहुत आवश्यक है। **बाढ़ एवं सूखे** से नपिटने के लयि बेहतर सचिाई प्रणालयियों पर ध्यान केंद्रति करने के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापति करने, नविश आकर्षति करने तथा कृषि व्ियापार को बढ़ावा देने के लयि एक मज़बूत परविहन नेटवर्क वकिसति करना चाहिये।
 - **महलिा सशक्तीकरण एवं सामाजकि समावेशन:** **लैंगकि समानता** एवं सामाजकि स्तरीकरण के संदर्भ में बहिर वभिन्नि चुनौतयियों का सामना कर रहा है। वधियियों के बेहतर प्रवर्तन एवं सामाजकि सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ-साथ महलिाओं की **शक्तिषा, कौशल विकास** तथा **वतितीय समावेशन** पर ध्यान देना चाहिये।

दृष्टभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में राज्यों को वशिष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS) देने के क्रम में आने वाली चुनौतयियों पर चर्चा कीजयि। ये चुनौतयिँ देश के राजकोषीय संघवाव एवं विकास उद्देश्यों को कसि प्रकार प्रभावति करति हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????:

Q. केंद्र और राज्यों के बीच वविादों का नरिणयन करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कसिके अंतर्गत आति है। (2014)

- (a) सलाहकार क्षेत्राधकिार
- (b) अपीलीय क्षेत्राधकिार
- (c) मूल क्षेत्राधकिार
- (d) रटि क्षेत्राधकिार

उत्तर: (c)

??????????:

प्रश्न. क्षेत्रवाव की बढ़ति भावना अलग राज्य की मांग हेतु महत्त्वपूर्ण कारक है। चर्चा कीजयि। (2013)